



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04072025-264368
CG-DL-E-04072025-264368

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 397]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 2, 2025/आषाढ़ 11, 1947

No. 397]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 2, 2025/ASHADHA 11, 1947

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जून, 2025

सा.का.नि. 440(अ).—केन्द्रीय सरकार, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 53) की धारा 96 के साथ पठित साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण नियम, 2003 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण (संशोधन) नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण नियम, 2003 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा जाएगा) में नियम 20 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"20. प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति.- (1) प्राधिकरण इन नियमों से उपाबद्ध चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिकारियों के पदों पर भर्ती और नियुक्तियां करेगा।

(2) पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संलग्न उनके वेतन स्तर इन नियमों से उपाबद्ध सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों के अनुसार होंगे।

20 क. आरंभिक गठन.- (1) इन नियमों के प्रारंभ होने से ठीक पहले सातवीं अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को नियमित आधार पर धारित करने वाले कार्मिकों को इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्त किया गया समझा जाएगा।

(2) इन नियमों के प्रारंभ होने से ठीक पहले उपनियम (1) में निर्दिष्ट कार्मिकों की संबंधित ग्रेड में नियमित निरंतर सेवा की, उक्त सेवा में परिवीक्षा अवधि, प्रोन्नति के लिए अर्हक सेवा, पुष्टीकरण और पेंशन के लिए गणना जाएगी।"

3. मूल नियमों में, चौथी अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्: -

“ चौथी अनुसूची
[नियम 20(1) देखें]

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या	केन्द्र सरकार के अधीन समतुल्य पद	वेतन स्तर
1.	वित्तीय सलाहकार	1	निदेशक	स्तर-13 (123100-215900 रु.)
2.	संयुक्त रजिस्ट्रार	2	उप सचिव	स्तर-12 (78800-209200 रु.)
3.	विधि सलाहकार	2	अवर सचिव	स्तर-11 (67700-208700 रु.)
4.	उप रजिस्ट्रार	3	अवर सचिव	स्तर-11 (67700-208700 रु.)
5.	उप निदेशक (प्रशासन)	1	अवर सचिव	स्तर-11 (67700-208700 रु.)
6.	पौधा किस्म परीक्षक	6	सहायक	स्तर-7 (44900-142400 रु.)
7.	तकनीकी सहायक	5	तकनीकी सहायक	स्तर-6 (35400-112400 रु.)
8.	कंप्यूटर सहायक	5	तकनीकी सहायक	स्तर-6 (35400-112400 रु.)
9.	कार्यकारी सहायक (प्रशासन)	5	तकनीकी सहायक	स्तर-6 (35400-112400 रु.)
10.	लेखाकार	2	तकनीकी सहायक	स्तर-6 (35400-112400 रु.)

4. मूल नियमों में छठी अनुसूची के पश्चात निम्नलिखित अनुसूची अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“सातवीं अनुसूची
[नियम 20(2) देखें]

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वित्तीय सलाहकार	01(2025)	समूह 'क' अराजपत्रित	स्तर-13 (रु. 123100-215900)	लागू नहीं होता ।	पचास वर्ष से अनधिक टिप्पण 1: केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के

				<p>अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण 2: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चम्बा जिले के पांगी उप-मंडल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और जम्मू और कश्मीर के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।</p>
--	--	--	--	--

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों या प्रतिनियुक्ति की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति; भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य या वित्त या चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (वित्त) में मास्टर डिग्री या समतुल्य (केन्द्रीय या राज्य या संघ राज्य क्षेत्र या स्वायत्त संगठन या अर्ध सरकारी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम) में वित्त या लेखा में समूह 'क' या समतुल्य श्रेणी में कम से कम बारह वर्ष का अनुभव।	प्रतिनियुक्ति के मामले में स्तंभ (10) के अनुसार	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा। टिप्पणी: सीधी भर्ती कोटे के अंतर्गत पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर या लम्बी बीमारी या अध्ययन अवकाश पर या अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या अधिक समय के लिए अनुपस्थित रहने के कारण होने वाली रिक्तियों को स्तंभ (11) के अनुसार प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकता है।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणी जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति या चयन समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने की किन परिस्थितियाँ में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्वायत्त संगठन या अर्ध-सरकारी या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम के ऐसे अधिकारी:	विभागीय चयन या पुष्टि समिति (चयन और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-	लागू नहीं होता।

<p>(क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या</p> <p>(ii) जिसने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-12 (78800-209200 रुपये) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो या</p> <p>(iii) जिसने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर-11 (67700-208700 रुपये) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी में दस वर्ष की सेवा की हो और</p> <p>(ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विनिर्दिष्ट शैक्षिक अर्हता रखते हों।</p> <p>टिप्पणी 1: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) भी शामिल है, सामान्यतः पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>(1) महारजिस्ट्रार, पीपीवीएफआरए-अध्यक्ष;</p> <p>(2) पीपीवीएफआरए के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाने वाला ऐसा अधिकारी, जो संयुक्त सचिव, भारत सरकार के पद से नीचे पद का न हो- सदस्य;</p> <p>(3) पीपीवीएफआरए के अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाने वाले दो ऐसे विशेषज्ञ, जो वेतन स्तर-13 में निदेशक के पद से नीचे के न हो- सदस्य।</p>	
--	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<p>उप निदेशक (प्रशासन)</p>	<p>01(2025)</p>	<p>समूह 'क' अराजपत्रित</p>	<p>स्तर-11 (रु. 67700- 208700)</p>	<p>लागू नहीं होता।</p>	<p>पैंतालीस वर्ष से अनधिक।</p> <p>टिप्पण 1: केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिक पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण 2: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चम्बा जिले के पांगी उप-मंडल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और जम्मू और कश्मीर के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।</p>

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>आवश्यक: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में मास्टर डिग्री के साथ कंप्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान के साथ-साथ केन्द्रीय या राज्य या संघ राज्य क्षेत्र या स्वायत्त संगठन या अर्ध सरकारी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम में प्रशासन या स्थापना या सतर्कता या उपापन के क्षेत्र में कम से कम दस वर्ष का अनुभव, जिसमें से कम से कम,-</p> <p>(i) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-10 (56100-177500 रुपये) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो; या</p> <p>(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-9 (53100-167800 रुपये) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी में सात वर्ष की सेवा की हो या</p> <p>(iii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-8 (47600-151100 रुपये) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी में आठ वर्ष की सेवा की हो।</p>	लागू नहीं होता।	दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति द्वारा, जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)	(12)	(13)
<p>प्रतिनियुक्ति:</p> <p>केन्द्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्वायत्त संगठन या अर्ध-सरकारी या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम के ऐसे अधिकारी:</p> <p>(क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या</p> <p>(ii) जिसने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-10 (56100-177500 रुपये) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो; या</p> <p>(iii) जिसने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-9 (53100-167800 रुपये) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी में सात वर्ष की सेवा की हो या</p> <p>(iv) जिसने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-8 (47600-151100 रुपये) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी में आठ वर्ष की सेवा की हो।</p> <p>(ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हता रखता हो।</p> <p>टिप्पणी 1: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य संवर्ग</p>	<p>विभागीय चयन या पुष्टि समिति (चयन और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <p>(1) महारजिस्ट्रार, पीपीवीएफआरए - अध्यक्ष;</p> <p>(2) पीपीवीएफआरए के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाने वाला ऐसा अधिकारी, जो संयुक्त सचिव, भारत सरकार के पद से नीचे पद का न हो- सदस्य;</p> <p>(3) पीपीवीएफआरए के अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाने वाले दो ऐसे विशेषज्ञ, जो वेतन स्तर-13 में निदेशक के पद से नीचे के न हो- सदस्य।</p>	लागू नहीं होता।

पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) भी शामिल है, सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पौध किस्म परीक्षक	06 (2025)	समूह 'ख' अराजपत्रित	स्तर-7 (44900- 142400 रुपये)	लागू नहीं होता।	पैंतीस वर्ष से अनधिक। टिप्पण 1: केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चम्बा जिले के पांगी उप-मंडल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और जम्मू और कश्मीर के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)	(8)	(9)	(10)
अनिवार्य: आनुवंशिकी और पादप प्रजनन या आनुवंशिकी या कृषि वनस्पति विज्ञान या बीज विज्ञान और प्रौद्योगिकी या बीज प्रौद्योगिकी या पादप आनुवंशिकी संसाधन में विशेषज्ञता सहित कृषि में मास्टर डिग्री या पादप प्रजनन और आनुवंशिकी में विशेषज्ञता सहित वानिकी या बागवानी या पादप जैव प्रौद्योगिकी या पादप आणविक जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री या जैव-प्रणाली में विशेषज्ञता सहित वनस्पति विज्ञान में मास्टर डिग्री। वांछनीय: (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट डिग्री। (ii) संबंधित क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा टिप्पणी: सीधी भर्ती कोटे के अधीन पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर होने या लम्बी बीमारी या अध्ययन अवकाश पर होने या अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या अधिक समय के लिए अनुपस्थित रहने के कारण होने वाली रिक्तियों को स्तंभ (11) में विनिर्दिष्ट अनुसार प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाएगा।

(11)	(12)	(13)
<u>प्रोन्नति:</u> वेतन स्तर-6 (35400-112400 रुपये) में पांच वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके तकनीकी सहायक। <u>प्रतिनियुक्ति:</u> केन्द्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्वायत्त संगठन या अर्ध-सरकारी या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम के अधिकारी:	विभागीय प्रोन्नति या स्थायीकरण समिति में (प्रोन्नति, चयन और स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) - (1) रजिस्ट्रार, पीपीवीएंडएफआरए- अध्यक्ष; (2) पीपीवीएंडएफआरए के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाने वाला एक ऐसा अधिकारी जो उप-सचिव के पद से नीचे का न हो- सदस्य	लागू नहीं होता।

<p>(क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हो; या</p> <p>(ii) जिसने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-6 (35400-112400 रुपये) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा पूरी की हो; और</p> <p>(ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विनिर्दिष्ट शैक्षिक अहर्ता रखते हो।</p> <p>टिप्पणी 1: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित किसी अन्य बाह्य संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) भी शामिल है, सामान्यतः पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>				<p>(3) पीपीवीएंडएफआरए के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाने वाला दो ऐसे विशेषज्ञ, जो उप-सचिव स्तर से नीचे के पद के न हों- सदस्य</p>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
तकनीकी सहायक	05(2025)	समूह 'ख' अराजपत्रित	स्तर-6 (35400-112400 रुपये)	लागू नहीं होता।	35 वर्ष से अनधिक। टिप्पण 1: केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चम्बा जिले के पांगी उप-मंडल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और जम्मू और कश्मीर के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>आवश्यक: पौध प्रजनन या बीज प्रौद्योगिकी या पौध किस्म मूल्यांकन या पौध आनुवंशिकी संसाधन में दो वर्ष के अनुभव सहित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान या बागवानी या वानिकी या जैव प्रौद्योगिकी में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक की डिग्री या वनस्पति विज्ञान में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक की डिग्री।</p> <p><u>वांछनीय:</u></p> <p>(i) पादप प्रजनन और आनुवंशिकी में विशेषज्ञता के साथ पादप प्रजनन या पादप प्रजनन और आनुवंशिकी या</p>	लागू नहीं होता।	दो वर्ष	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा टिप्पणी: सीधी भर्ती कोटे के अधीन पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर या लम्बी बीमारी या अध्ययन अवकाश पर या अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या अधिक समय के लिए अनुपस्थित रहने के कारण होने वाली रिक्तियों को स्तंभ (11) में विनिर्दिष्ट अनुसार प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाएगा।

<p>आनुवंशिकी या कृषि वनस्पति विज्ञान या बीज प्रौद्योगिकी या वानिकी या बागवानी विज्ञान में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री।</p> <p>(ii) पौध प्रजनन या बीज प्रौद्योगिकी या पौध किस्म मूल्यांकन या पौध आनुवंशिकी संसाधन में तीन वर्ष का अनुभव।</p>			
--	--	--	--

(11)	(12)	(13)
<p><u>प्रतिनियुक्ति:</u></p> <p>केन्द्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्वायत्त संगठन या अर्ध-सरकारी या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम के ऐसे अधिकारी:</p> <p>(क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए है; या</p> <p>(ii) जिसने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर-5 (29200-92300 रुपये) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी में छह वर्ष की सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विनिर्दिष्ट शैक्षिक अर्हता रखते हो।</p> <p>टिप्पणी 1: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित किसी अन्य बाह्य संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) भी शामिल है, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>विभागीय चयन समिति में (चयन और स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित शामिल होंगे:-</p> <p>(1) रजिस्ट्रार, पीपीवीएंडएफआरए- अध्यक्ष;</p> <p>(2) पीपीवीएंडएफआरए के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाने वाला एक ऐसा अधिकारी जो वेतन स्तर 12 में उप-सचिव के पद से नीचे का न हो- सदस्य</p> <p>(3) पीपीवीएंडएफआरए के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाने वाला दो ऐसे विशेषज्ञ, जो उप-सचिव पद से नीचे के पद के न हों- सदस्य</p>	<p>लागू नहीं होता।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कंप्यूटर सहायक	5 (2025)	समूह 'ख' अराजपत्रित	स्तर-6 (35400-112400 रुपये)	लागू नहीं होता।	<p>35 वर्ष से अनधिक</p> <p>टिप्पण 1: केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण 2: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चम्बा जिले के पांगी उप-मंडल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और</p>

					जम्मू और कश्मीर के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।
--	--	--	--	--	---

(7)	(8)	(9)	(10)
<p><u>आवश्यक:</u> किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम पचपन प्रतिशत अंकों के साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक की डिग्री।</p> <p><u>वांछनीय:</u> (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर विज्ञान में मास्टर डिग्री। (ii) किसी प्रतिष्ठित संगठन में डाटा बेस प्रबंधन में दो वर्ष का अनुभव।</p>	लागू नहीं होता।	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा। नोट: सीधी भर्ती कोटे के अधीन पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर या लम्बी बीमारी या अध्ययन अवकाश पर या अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक समय के लिए अनुपस्थित रहने के कारण होने वाली रिक्तियों को स्तंभ (11) के अनुसार प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकता है।

(11)	(12)	(13)
<p><u>प्रतिनियुक्ति:</u> केन्द्रीय या राज्य सरकार या संघ शासित प्रदेश या स्वायत्त संगठन या अर्ध-सरकारी या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम के ऐसे अधिकारी:</p> <p>(क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिसने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर-5 (29200-92300 रुपये) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी में छह वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विनिर्दिष्ट शैक्षिक अहर्ता रखते हों।</p> <p>नोट 1: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>नोट 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अधीन केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>विभागीय चयन समिति (चयन और स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित शामिल होंगे:-</p> <p>(1) महारजिस्ट्रार, पीपीवीएंडएफआरए - अध्यक्ष;</p> <p>(2) पीपीवीएंडएफआरए के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाने वाला एक ऐसा अधिकारी जो वेतन स्तर 12 में उप-सचिव के पद से नीचे का न हो-सदस्य</p> <p>(3) पीपीवीएंडएफआरए के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाने वाला दो ऐसे विशेषज्ञ, जो उप-सचिव पद से नीचे के पद के न हों- सदस्य</p>	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कार्यकारी सहायक (प्रशासन)	05 (2025)	समूह 'ख' अराजपत्रित	स्तर-6 (रु. 35400-112400)	लागू नहीं होता।	पैंतीस वर्ष से अनधिक। टिप्पण 1: केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।

					टिप्पण 2: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चम्बा जिले के पांगी उप-मंडल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और जम्मू और कश्मीर के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।
--	--	--	--	--	--

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम पचपन प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक की डिग्री।</p> <p>वांछनीय:</p> <p>(i) कार्यालय प्रशासन और स्थापन में कम से कम दो वर्ष के कार्य का अनुभव।</p> <p>(ii) कंप्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान हो।</p>	लागू नहीं होता।	दो वर्ष	<p>सीधी भर्ती द्वारा</p> <p>नोट : सीधी भर्ती कोटे के अधीन पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर या लम्बी बीमारी या अध्ययन अवकाश पर या अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक समय के लिए अनुपस्थित रहने के कारण होने वाली रिक्तियों को स्तंभ (11) के अनुसार प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकता है।</p>

(11)	(12)	(13)
<p><u>प्रतिनियुक्ति:</u></p> <p>केन्द्रीय या राज्य सरकार या संघ शासित प्रदेश या स्वायत्त संगठन या अर्ध-सरकारी या कानूनी संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के ऐसे अधिकारी:</p> <p>(क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या</p> <p>(ii) जिसने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर-5 (29200-92300 रुपये) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी में छह वर्ष की सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विनिर्दिष्ट शैक्षिक अर्हता रखते हों।</p> <p>नोट 1: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>नोट 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अधीन केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>विभागीय चयन समिति (चयन और स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित शामिल होंगे:-</p> <p>(1) रजिस्ट्रार, पीपीवीएंडएफआरए- अध्यक्ष;</p> <p>(2) पीपीवीएंडएफआरए के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाने वाला एक ऐसा अधिकारी जो वेतन स्तर 12 में उप-सचिव के पद से नीचे का न हो- सदस्य</p> <p>(3) पीपीवीएंडएफआरए के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाने वाला दो ऐसे विशेषज्ञ, जो उप-सचिव पद से नीचे का न हों- सदस्य</p>	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
लेखाकार	02 (2025)	समूह 'ख' अराजपत्रित	स्तर-6 (रु. 35400- 112400)	लागू नहीं होता।	पैंतीस वर्ष से अनधिक। टिप्पण 1: केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चम्बा जिले के पांगी उप-मंडल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, जम्मू और कश्मीर के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)	(8)	(9)	(10)
<p><u>आवश्यक:</u> किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम पचपन प्रतिशत अंकों के साथ वाणिज्य में स्नातक की डिग्री।</p> <p><u>वांछनीय :</u> (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वाणिज्य या वित्त में मास्टर डिग्री या चार्टर्ड अकाउंटेंट (इंटर) या कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट (इंटर) (ii) वित्त या लेखा सेवा में दो वर्ष के कार्य का अनुभव</p>	लागू नहीं होता।	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
<p>प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय या राज्य सरकार या संघ शासित प्रदेश या स्वायत्त संगठन या अर्ध-सरकारी या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम के ऐसे अधिकारी:</p> <p>(क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या</p> <p>(ii) जिसने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर-5 (29200-92300 रुपये) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी में छह वर्ष की सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विनिर्दिष्ट शैक्षिक अर्हता रखते हों।</p> <p>नोट 1: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>नोट 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अधीन केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>विभागीय चयन समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे (चयन और स्थायीकरण पर विचार करने के लिए):-</p> <p>(1) रजिस्ट्रार-जनरल, पीपीवीएफआरए – अध्यक्ष;</p> <p>(2) पीपीवीएंडएफआरए के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाने वाला एक ऐसा अधिकारी जो वेतन स्तर 12 में उप-सचिव के पद से नीचे का न हो- सदस्य</p> <p>(3) पीपीवीएंडएफआरए के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाने वाला दो ऐसे विशेषज्ञ, जो उप-सचिव पद से नीचे का न हों- सदस्य</p>	<p>लागू नहीं होता।”</p>

[फा. सं. 14012/1/2023-SD-V]

अजीत कुमार साहू, संयुक्त सचिव

नोट:- मूल विनियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा. का. नि. 738 (ड.), तारीख 12 सितंबर, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार 2021 सा. का. नि. 803 (ड.) तारीख 16 नवंबर, 2021 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE**(Department of Agriculture And Farmers Welfare)****NOTIFICATION**New Delhi, the 27th June, 2025

G.S.R. 440(E).— In exercise of the powers conferred by section 96 of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001 (53 of 2001) read with section 22 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Rules, 2003 namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These Rules may be called the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights (Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Rules, 2003 (hereinafter referred to as the principal rules), for rule 20, the following rules shall be substituted, namely:-

"20. The method of appointment of officers and other employees of the Authority.- (1) The Authority shall recruit and make appointments to the posts of officers specified in the Fourth Schedule annexed to these rules.

(2) The number of posts, their classification and their pay level attached thereto shall be as per the service conditions specified in the Seventh Schedule annexed to these rules.

20A. Initial Constitution.- (1) Personnel holding the posts specified in Column (1) of the Seventh Schedule, immediately before the commencement of these rules on a regular basis shall be deemed to have been appointed under the provisions of these rules.

(2) The regular continuous service of personnel referred in sub-rule (1) in the respective grade immediately before the commencement of these rules shall count for the purpose of the probation period, qualifying service for promotion, confirmation and pension in the service."

3. In the principal rules, for the Fourth Schedule the following Schedule shall be substituted, namely: -

"FOURTH SCHEDULE

[See rule 20(1)]

Serial Number	Name of Post	Number of Post	Equivalent post under the Central Government	Pay Level
1.	Financial Advisor	1	Director	Level-13 (Rs. 123100-215900)
2.	Joint Registrar	2	Deputy Secretary	Level-12 (Rs. 78800-209200)

3.	Legal Advisor	2	Under Secretary	Level-11 (Rs. 67700-208700)
4.	Deputy Registrar	3	Under Secretary	Level-11 (Rs. 67700-208700)
5.	Deputy Director (Admin.)	1	Under Secretary	Level-11 (Rs. 67700-208700)
6.	Plant Variety Examiner	6	Assistant	Level-7 (Rs. 44900-142400)
7.	Technical Assistant	5	Technical Assistant	Level-6 (Rs. 35400-112400)
8.	Computer Assistant	5	Technical Assistant	Level-6 (Rs. 35400-112400)
9.	Executive Assistant (Administration)	5	Technical Assistant	Level-6 (Rs. 35400-112400)
10.	Accountant	2	Technical Assistant	Level-6 (Rs. 35400-112400)

4. In the principal rules, after the Sixth Schedule, the following Schedule shall be inserted, namely:-

“SEVENTH SCHEDULE

[See Rule 20(2)]

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in the Pay Matrix.	Whether selection or non-selection post.	Age limit for direct-recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Financial Advisor.	01(2025).	Group 'A' Non-Gazetted	Level-13 (Rs. 123100-215900)	Not applicable	Not exceeding fifty years Note 1: Relaxable for Government servant upto five years in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government. Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date of receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union Territory of Ladakh, Lahaul & Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep and Jammu and Kashmir.

Educational and other qualification required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or transfer or absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.

	of promotes or deputations.		
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: Master Degree in Commerce or Finance or Chartered Accountant or Cost and Works Accountant or Mater of Business Administration (Finance) from a recognized University or equivalent with at least twelve years of experience in Group 'A' or equivalent grade in finance or accounts of the (Central or State or Union Territories or Autonomous organization or Semi Government organization or Public Sector Undertaking.	As per column (10) in case of deputation.	One year for Direct Recruitment	By direct recruitment, failing which by deputation. Note: Vacancies cause under direct recruitment quota by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for one year or more may be filled on deputation basis as per Column (11).

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion or Selection Committee exists, what is the composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment			
(11)	(12)	(13)			
Deputation: Officers from the Central or State Government or Union territories or Autonomous Organisation or Semi-Government or Statutory Organisation or Public Sector Undertaking: (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) having five years of service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay level-12 (Rs. 78800-209200) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department or (iii) having ten years of service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay level-11 (Rs. 67700-208700) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department and (b) possessing the educational qualification specified for direct recruitment under column (7). Note 1: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. Note 2: Period of deputation including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department shall not ordinarily exceed five years.	Departmental Selection or Confirmation Committee consisting of (for considering selection and confirmation):- (1) Registrar- General, PPVFRA - Chairman; (2) Person, not below the rank of Joint Secretary to the Government of India to be nominated by Chairperson, PPVFRA - Member; (3) Two experts not below the rank of Director in pay level-13 to be nominated by Chairperson, PPVFRA - Members.	Not applicable			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Deputy Director (Administration)	01(2025).	Group 'A' Non- Gazetted.	Level-11 (Rs. 67700- 208700)	Not applicable	Not exceeding forty-five years. (Note 1: Relaxable for Government servant up to five years in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date of receipt of application from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union Territory of Ladakh, Lahaul & Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep and Jammu and Kashmir.
-------------------------------------	-----------	--------------------------------	---------------------------------------	-------------------	--

(7)	(8)	(9)	(10)
<p><u>Essential:</u> Master degree in any discipline from recognized University with working knowledge of Computer with at least ten years of experience in the field of administration or establishment or vigilance or procurement in the Central or State or Union Territories or Autonomous organization or Semi Government organization or Public Sector Undertaking out of which at least,-</p> <p>(i) having five years of service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay level-10 (Rs. 56100-177500) of the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; or</p> <p>(ii) having seven years of service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay level-9 (Rs. 53100-167800) of the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department or</p> <p>(iii) having eight years of service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay level-8 (Rs. 47600-151100) of the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department.</p>	Not applicable	Two years	By deputation failing which by direct recruitment.

(11)	(12)	(13)
<p>Deputation:</p> <p>Officers from the Central or State Government or Union Territories or Autonomous Organization or Semi-Government or Statutory Organization or Public Sector Undertaking:</p> <p>(a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or</p> <p>(ii) having five years of service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay level-10 (Rs.</p>	<p>Departmental Selection or Confirmation Committee consisting of (for considering selection and confirmation):-</p> <p>(1) Registrar- General, PPVFRA - Chairman;</p> <p>(2) An Officer not below the rank of Joint Secretary to the Government of India to be nominated by</p>	Not applicable

<p>56100-177500) of the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; or</p> <p>(iii) having seven years of service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay level-9 (Rs. 53100-167800) of the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department or</p> <p>(iv) having eight years of service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay level-8 (Rs. 47600-151100) of the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department</p> <p>(b) possessing the educational qualification prescribed for direct recruitment under column (7)</p> <p>Note 1: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>Note 2: Period of deputation including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department shall ordinarily not exceed three years.</p>	<p>Chairperson, PPVFRA-Member;</p> <p>(3) Two experts not below the rank of Director in pay level-13 to be nominated by Chairperson, PPVFRA-Members.</p>	
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Plant Variety Examiner.	06 (2025)	Group 'B' Non-Gazetted.	Level-7 (Rs. 44900-142400)	Not applicable	<p>Not exceeding thirty-five years.</p> <p>Note 1: Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government.</p> <p>Note 2: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date of receipt of application from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union Territory of Ladakh, Lahaul & Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep and Jammu and Kashmir.</p>

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>Essential: Master Degree in Agriculture with specialization in Genetics and Plant Breeding or Genetics or Agricultural Botany or Seed Science and Technology or Seed Technology or Plant Genetics Resources or Master Degree in Forestry or Horticulture or Plant Biotechnology or Plant Molecular Biology and Biotechnology with specialization in Plant Breeding and Genetics or Master degree in Botany with specialization in Bio-systematics.</p>	Not applicable.	Two years for direct recruits.	<p>Fifty per cent by promotion failing which by deputation and fifty percent by direct recruitment</p> <p>Note: Vacancies caused under direct recruitment quota by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for one year or more may be filled on deputation basis as specified in Column (11).</p>

Desirable: (i) Doctorate Degree from recognized University. (ii) Three years experience in relevant field.			
--	--	--	--

(11)	(12)	(13)
<p><u>Promotion:</u> Technical Assistant having five years regular service in the Pay Level-6 (Rs. 35400-112400)</p> <p><u>Deputation:</u> Officers from the Central or State Government or Union Territories or Autonomous Organization or Semi-Government or Statutory Organization or Public Sector Undertaking:</p> <p>(a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) having five years of service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay level-6 (Rs. 35400-112400) of the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the educational qualification specified for direct recruitment under column (7)</p> <p>Note 1: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>Note 2: Period of deputation including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department shall ordinarily not exceed three years.</p>	<p>Departmental Promotion or Confirmation Committee consisting of (for considering promotion, selection and confirmation):-</p> <p>(1)Registrar, PPVFRA- Chairman; (2) An Officer not below the rank of Deputy Secretary to be nominated by Chairperson, PPVFRA- Member; (3) Two experts not below the rank of Deputy Secretary to be nominated by Chairperson, PPVFRA-Members.</p>	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Technical Assistant	5(2025)	Group 'B' Non-Gazetted.	Level-6 (Rs. 35400-112400)	Not applicable	<p>Not exceeding thirty-five years.</p> <p>(Note 1: Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government).</p> <p>Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date of receipt of application from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union Territory of Ladakh, Lahaul & Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep and Jammu & Kashmir.</p>

(7)	(8)	(9)	(10)
-----	-----	-----	------

<p>Essential: A Bachelor Degree with minimum fifty-five per cent marks from any recognized University in Agricultural Sciences or Horticulture or Forestry or Biotechnology with two years of experience in Plant Breeding or Seed Technology or Plant Variety Evaluation or Plant Genetics Resources or Bachelor degree in Botany with a minimum fifty-five per cent. marks.</p> <p><u>Desirable:</u></p> <p>(I) Master degree from recognized university in Plant Breeding or Plant Breeding and Genetics or Genetics or Agricultural Botany or Seed technology or Forestry or Horticultural Sciences with specialization in Plant Breeding and Genetics.</p> <p>(II) Three years of experience in Plant Breeding or Seed Technology or Plant Variety Evaluation or Plant Genetics Resources.</p>	Not applicable	Two years	<p>Hundred per cent by Direct Recruitment</p> <p>Note: Vacancies caused under direct recruitment quota by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for one year or more may be filled on deputation basis as specified in Column (11).</p>
---	----------------	-----------	--

(11)	(12)	(13)
<p><u>Deputation:</u></p> <p>Officers from the Central or State Government or Union Territories or Autonomous Organization or Semi-Government or Statutory Organization or Public Sector Undertaking:</p> <p>(a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or</p> <p>(ii) having six years of service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay level-5 (Rs. 29200-92300) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and</p> <p>(b) possessing the educational qualification specified for direct recruitment under column (7)</p> <p>Note 1: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>Note 2: Period of deputation including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department shall ordinarily not exceed three years.</p>	<p>Departmental Selection Committee consisting of (for considering Selection and confirmation):-</p> <p>(1) Registrar, PPVFRA - Chairman</p> <p>(2) An Officer not below the rank of Deputy Secretary in pay level-12 to be nominated by the Chairperson, PPVFRA - Member</p> <p>(3) Two experts not below the rank of Deputy Secretary to be nominated by Chairperson, PPV&FRA - Members</p>	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Computer Assistant	5 (2025).	Group 'B' Non-Gazetted.	Level-6 (Rs. 35400-112400)	Not applicable	<p>Not exceeding thirty-five years</p> <p>(Note 1: Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government.</p> <p>Note 2: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date of receipt of application from candidates in India and not the closing date prescribed</p>

					for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union Territory of Ladakh, Lahaul & Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep and Jammu & Kashmir.
--	--	--	--	--	---

(7)	(8)	(9)	(10)
<p><u>Essential:</u> Bachelor Degree in Computer Application or Computer Science with minimum fifty-five per cent. marks from a recognized university</p> <p><u>Desirable:</u> (I) Master degree in Computer Application or Computer Science from a recognized University. (II) Two years experience in Data Base Management in an organization of repute.</p>	Not applicable	Two years	By direct recruitment. Note: Vacancies caused under direct recruitment quota by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for one year or more may be filled on deputation basis as per Column (11).

(11)	(12)	(13)
<p><u>Deputation:</u> Officers from the Central or State Government or Union Territories or Autonomous Organization or Semi-Government or Statutory Organization or Public Sector Undertaking: (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) having six years of service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay level-5 (Rs. 29200-92300) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the educational qualification specified for direct recruitment under column (7)</p> <p>Note 1: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>Note 2: Period of deputation including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p>	<p>Departmental Selection Committee consisting of (for considering Selection and confirmation):-</p> <p>(1) Registrar-General, PPVFRA - Chairman (2) An Officer not below the rank of Deputy Secretary in pay level-12 to be nominated by the Chairperson, PPVFRA - Member (3) Two experts not below the rank of Deputy Secretary to be nominated by Chairperson, PPV&FRA - Members</p>	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Executive Assistant (Administration)	05 (2025)	Group 'B' Non-Gazetted	Level-6 (Rs. 35400-112400)	Not applicable	Not exceeding thirty-five years (Note 1: Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government. Note 2 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date of receipt of application from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union Territory of Ladakh, Lahaul & Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep and Jammu and Kashmir.

(7)	(8)	(9)	(10)
Bachelor Degree with minimum fifty-five per cent from any recognized University. <u>Desirable:</u> (i) at least two years working experience in office administration and establishment matters. (ii) having working knowledge in computer.	Not applicable	Two years	By Direct recruitment Note : Vacancies caused under direct recruitment quota by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for one year or more may be filled on deputation basis as per Column (11).

(11)	(12)	(13)
<u>Deputation:</u> Officers from the Central or State Government or Union Territories or Autonomous Organization or Semi-Government or Statutory Organization or Public Sector Undertaking: (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) having six years of service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay level-5 (Rs. 29200-92300) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the educational qualification specified for direct recruitment under column (7) Note 1: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. Note 2: Period of deputation including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in	Departmental Selection Committee consisting of (for considering Selection and confirmation):- (1) Registrar, PPVFRA – Chairman; (2) An Officer not below the rank of Deputy Secretary in pay level-12 to be nominated by the Chairperson, PPVFRA – Member; (3) Two experts not below the rank of Deputy Secretary in level-12 to be nominated by Chairperson, PPV&FRA – Members.	Not applicable

the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.		
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Accountant	02 (2025).	Group 'B' Non- Gazetted	Level-6 (Rs. 35400- 112400)	Not applicable	Not exceeding thirty-five years Note: Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government. Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date of receipt of application from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union Territory of Ladakh, Lahaul & Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep and Jammu and Kashmir.

(7)	(8)	(9)	(10)
<u>Essential:</u> Bachelor Degree in Commerce from a recognized University with minimum of fifty-five per cent marks. <u>Desirable:</u> (i) Master degree in Commerce or Finance from recognized University or Institute or Chartered Accountant (inter) or Cost and Works Accountant (inter) (ii) Two years experience in handling Finance or Accounts	Not applicable	Two years	By Direct recruitment failing which by deputation.

(11)	(12)	(13)
<u>Deputation:</u> Officers from the Central or State Government or Union Territories or Autonomous Organization or Semi-Government or Statutory Organization or Public Sector Undertaking: (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) having six years of service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay level-5 (Rs. 29200-92300) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and	Departmental Selection Committee consisting of (for considering Selection and confirmation):- (1) Registrar-General, PPVFRA – Chairman; (2) An Officer not below the rank of Deputy Secretary in pay level-12 to be nominated by the Chairperson, PPVFRA – Member; (3) Two experts not below the rank of Deputy Secretary in level-12 to be	Not applicable”

<p>(b) possessing the educational qualification specified for direct recruitment under column (7)</p> <p>Note 1: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>Note 2: Period of deputation including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p>	<p>nominated by Chairperson, PPV&FRA – Members.</p>	
--	---	--

[F. No. 14012/1/2023-SD-V]
AJEET KUMAR SAHU Jt. Secy.

Note:- The principal regulations were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide G.S.R. 738 (E), dated the 12th September, 2003 and were last amended vide 2021G.S.R. 803 (E) dated 16th November, 2021.